न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर (भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी :— राधेश्याम मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सख्या: 55/22 दायर दिनांक: 26.05.2022

जीसीएमएस नं. 2022/136

उनवान

1 कमलेश गुप्ता पत्नि श्री अशोक गुप्ता 2 श्रीमति मन्जू गुप्ता पत्नि श्री संजय गुप्ता जातियान वैश्य नि. खेरली गंज तह. कठूमर जिला अलवर राज.।

——प्रार्थीगण

बनाम

1 राज. सरकार जरिये तहसीलदार, भुसावर जिला भरतपुर, 2 मोतीराम 3 मोहनसिंह पुत्रान प्यारेलाल जातियान चौबदार नि. बाछरैन तह. भुसावर 4 मानसिंह पुत्र सूखी जाति जाटव नि. बाछरैन तह. भुसावर जिला भरतपुर राज.।

—— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212
राज. काश्तकारी अधिनियम 1955
सिलसिले प्रा. पत्र धारा 136 एल.आर.ए.

अधिवक्ता:—

1 श्री छोटेलाल मीना ——प्रार्थीगण
2 श्री रमेश पाण्डेय ——अप्रार्थीगण सं. 2, 3
3 श्री दौलतराम जाटव ——अप्रार्थी सं. 4

निर्णय दिनांक 17.02.2025

प्रार्थीगण द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. व सिलसिले धारा 136 एल.आर.ए. के तहत पेश किया गया। जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आ. ख.नं. 1533 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा जिसका नया ख.नं. 2333 रकबा 0.53 हैक्टे. वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर में स्थित है। नकल मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत है।

वर्तमान में सही व सत्य तथ्य इस प्रकार होने चाहिए:—

पूरन पुत्र जवाली जाति जाट नि. बाछरैन ने अपने 1/4 भाग को 17.02.2005 को प्रार्थिनी संख्या 1 कमलेश गुप्ता पत्नि अशोक गुप्ता व प्रार्थिनी संख्या 2 मन्जू गुप्ता पत्नि श्री संजय गुप्ता को जरिये रजिस्टर्ड वयनामा किया तथा प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 हिस्सा 1/4 भाग की खातेदार दर्ज हो गई तथा संवत 2064 से 2067 तक सही दर्ज हो रहा है। इसी प्रकार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 मोतीराम व मोहनसिंह पुत्रान श्री प्यारे 1/2 भाग के खातेदार दर्ज थे, जिन्होंने दिनांक 31.08.2006 को अपने 1/2 भाग से 6/7 भाग त्रिवेणी पत्नि श्री प्रेमसिंह जाट नि.

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

बाछरैन को विक्रय कर दिया। यानि 40.71 बिस्वा की खातेदार दर्ज हो गया। इस 40.71 बिस्वा से 12.43 बिस्वा रकबा नेशनल हाईवे संख्या 11 वर्तमान संख्या 21 में चला गया। तब त्रिवेणी के नाम 28.29 बिस्वा रकबा शेष रहा। जिसमें से त्रिवेणी ने 27.14 बिस्वा रकबा प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 कमलेश गुप्ता व मंजू गुप्ता को दिनांक 30.04.2007 को विक्रय कर दिया, तब त्रिवेणी पत्नि प्रेमसिंह 1.15 बिस्वा अर्थात 401/23100 भाग की खातेदार काश्तकार शेष रही है, जो आज भी 1.15 बिस्वा अर्थात 401/23100 भाग की खातेदार दर्ज होनी चाहिए। जिसकी शुद्धि हेतु त्रिवेणी ने प्रार्थना पत्र संख्या 21/2021 न्यायालय श्रीमान उपखण्ड अधिकारी, भुसावर में लंबित है। इसी प्रकार प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 कमलेश गुप्ता व मंजू गुप्ता भाग 1/4 दर्ज थी व रकबा 23.75 बिस्वा की खातेदार दर्ज थी, उसमें से 7.25 बिस्वा रकबा नेशनल हाईवे संख्या 11 वर्तमान 21 में चला गया। तब 16.50 बिस्वा शेष रहा। उसके बाद दिनांक 31.08.2006 को त्रिवेणी पत्नि प्रेमसिंह के 3/7 से 2/3 भाग का विक्रय प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 कमलेश व मंजू के नाम हो गया। इस प्रकार त्रिवेणी के नाम 3/7 भाग का अर्थात 40.71 बिस्वा की खातेदार थी। जिसमें से 12.43 बिस्वा नेशनल हाईवे संख्या 11 में जाने के बाद 28.29 बिस्वा शेष रही, तब 28.29 बिस्वा में से 27.14 हिस्सा प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 कमलेश व मंजू को दिनांक 31.04.2007 को विक्रय कर दी। तब त्रिवेणी पत्नि प्रेमसिंह अब 1.15 बिस्वा अर्थात 401/23100 भाग की खातेदार वर्तमान में है तथा प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 कमलेश व मंजू 16.50 बिस्वा + 27.14 बिस्वा यानि कुल 43.64 बिस्वा अर्थात 1091/1650 भाग की खातेदार है। प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 कमलेश व मंजू ने अपने 43.64 बिस्वा में से 30.64 बिस्वा लौकेश पुत्र ओमप्रकाश को दिनांक 05.01.2022 को विक्रय कर दिया, तब प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 कमलेश व मंजू अपने 43.64 बिस्वा में 30.64 बिस्वा विक्रय करने के बाद 13 बिस्वा अर्थात 4549/23100 भाग की खातेदार वर्तमान में है। इस प्रकार लौकेश पुत्र ओमप्रकाश 30.64 बिस्वा यानि 13/28 भाग का खातेदार है, जो सही दर्ज है।

मोतीराम व मोहनलाल पुत्रान प्यारे दोनों भाई संवत 2072 से 2075 तक की जमाबन्दी में 1/14 भाग के खातेदार सही व सत्य दर्ज थे। जिसका हिस्सा 6.78 बिस्वा होता है तथा नेशनल हाईवे में 2.07 बिस्वा चली गई, तब दोनों अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 के नाम 4.71 बिस्वा अर्थात 1/14 भाग शेष रहा, जो 1/14 ही होना चाहिए।

जमाबन्दी संवत 2064 से 2067 के सभी अंकन सही एवं सत्य है। राजस्व कर्मचारियों की भूलवश व सहवन से तथा सैटलमेन्ट की सहवन भूलों से संवत 2068 से 2071 में प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 कमलेश व मंजू हिस्सा 15/28 भाग व त्रिवेणी पत्नि प्रेमसिंह 1/7 भाग का खातेदार गलत दर्ज कर रखा है। इसी प्रकार जमाबन्दी संवत 2072 से 2075 में कमलेश व मंजू का 15/28 भाग व त्रिवेणी पत्नि प्रेमसिंह को 1/7 भाग का गलत खातेदार दर्ज कर रखा है। अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 मोतीराम व मोहनसिंह को 1/14 भाग का सही दर्ज कर रखा है। जब संवत 2074 से 2074 आधार जमाबन्दी में सहवन भूलवश प्रार्थिनी संख्या 1 व 2 कमलेश व मंजू के खाते में जमाबन्दी में नोट लगा है, वह भी गलत है तथा त्रिवेणी पत्नि प्रेमसिंह के नाम 3/7 भाग का अंकन भी गलत है तथा जमाबंदी संवत 2074 मोती व मोहन पुत्र प्यारे को 1/14 के स्थान पर 4/7 दर 1/2 यानि 2/7 भाग का खातेदार गलत दर्ज किया हुआ है। जो कि ऊपर लिखित विवरण अनुसार तथा जमाबन्दी संवत 2072–2075 में

उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर)

दर्ज 1/14 भाग सही को अचानक इस जमाबन्दी में 2/7 भाग का गलत दर्ज किया गया है।

प्रार्थियागण द्वारा निवेदन किया गया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें।

हमने प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थीगण की तलवी जरिये रजिस्टर्ड डाक से कराई गई। दिनांक 21.10.2022 को अप्रार्थीगण संख्या 4 मानसिंह की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया, उनकी ओर से दिनांक 11.07.2023 को वकालतनामा श्री दौलतराम एड. द्वारा पेश किया गया।

हमने बहस उभयपक्ष एवं उनके द्वारा दी गई दलीलों पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत दस्तावेजी रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया, तो हम इस नतीजे पर पहुँचे है कि उक्त आराजीयात के संबंध में फरीकेन हकों का निर्धारण दावे में साक्ष्य सबूतों के परीक्षण पश्चात हो सकेगा। तब तक पक्षकारान के मध्य कानूनी पेचीदगीयों से बचने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण में दिनांक 26.05.2022 को जारी शुदा स्थगन में आंशिक संशोधन करते हुए स्वीकार किया जाकर उभयपक्ष को ताफैसला प्रार्थना पत्र 136 एल.आर.ए. सहपठित व दावा आराजी मुतनाजा ख.नं. 1533 रकबा 04 बीघा 15 बिस्वा जिसका नया ख.नं. 2333 रकबा 0.53 हैक्टे. वाके ग्राम बाछरैन तह. भुसावर की फरीकेन रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें जाने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा संलग्न मूल वाद हो।

(राधेश्याम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,
भुसावर (भरतपुर)
भुसावर (भरतपुर)